

कार्यालय मुख्य अभियंता (शहरी एवं एन.आर.डब्ल्यू)
जन स्वा. अभि. विभाग, 2—सिविल लाईन, जयपुर—302006

फोन : 0141 2222053

ई-मेल : rj_cehq@nic.in

क्रमांक: एफ.6()/जन स्वा/अमुअ (श)/ईई-4/ जन./CBuD/23-24/

दिनांक :

अतिरिक्त मुख्य अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
क्षेत्र.....(समस्त)।

अधीक्षण अभियंता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
वृत्त.....(समस्त)।

विषय :- Call Before u Dig (CBuD) Mobile App को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

- संदर्भ :-**
1. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. सरकार से प्राप्त ईमेल दिनांक 12.12.2023 के क्रम में।
 2. इस कार्यालय के कार्यालय आदेश दिनांक 22.02.2023 के निरंतरता के क्रम में।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार, संचार मंत्रालय के पत्रांक 67 दिनांक 05.10.2023 (प्रति संलग्न) द्वारा अधीनस्थ कार्यालय/उत्खननकर्ताओं को CBuD मोबाइल ऐप के उपयोग को अनिवार्य करने हेतु एवं क्षेत्रों में खुदाई /उत्खनन से पूर्व संबंधित राजकीय अथवा निजी एजेन्सी को Call Before u Dig (CBuD) Mobile App के माध्यम से अनिवार्य रूप से सूचित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त आदेशों की निरंतरता में यह निर्देशित किया जाता है कि राज्य में पेयजल की सुचारु और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और उत्खनन एजेंसियों और भूमिगत उपयोगिता परिसंपत्ति मालिकों के बीच संबंधित किसी भी मुद्दे का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए, क्षेत्रों में खुदाई/खुदाई से पहले, संबंधित सरकारी या निजी एजेंसी को "कॉल बिफोर यू डिग" (सीबीयूडी) पर मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अनिवार्य रूप से सूचित किया जाना सुनिश्चित करें तथा संबंधित कार्यपालक अभियंता अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय यह प्रमाण देंगे कि उक्त जानकारी सीबीयूडी में दर्ज कर सूचित की गई है। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि अधिशाषी अभियंता/कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता की आईडी अभिलेखों में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाये, अन्यथा निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(राकेश लुहाड़िया)
विभागीय नोडल अधिकारी एवं
मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू)
जन स्वा. अभि. विभाग, राज., जयपुर

RajKaj Ref
6193247

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, राज., जयपुर।
2. मिशन निदेशक (जेजेएम), राज., जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय), जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता (प्रशासन/ग्रामीण/विशेष परियोजना/जेजेएम) जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर / परियोजना जोधपुर।
6. अधिशाषी अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, खण्ड.....(समस्त)।

विभागीय नोडल अधिकारी एवं
मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू)
जन स्वा. अभि. विभाग, राज., जयपुर